सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार– I आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:– 2022/05 दर्ज तिथिः– 18.01.2022

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

................प्रार्थी

बनाम

1. मोबसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी लादड़िया तहसील व जिला चूरू (राज.)

.... अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– पैरोकार राज
अप्रार्थीगणः–शिवसिंह राठौड़

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–84, 86
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

निर्णय तिथिः– 06.01.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–84, 86 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि तहसील चूरू के ग्राम लादड़िया के खेत खसरा संख्या 417/154 में रोहीड़ा के तीन पेड़ व खेजड़ी के दस पेड़ काटे गये हैं।
2. उपरोक्त रोहिड़ा एवं खेजड़ी के पेड़ आदि काटने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 84 व 86 का उल्लंघन किया गया है।
3. खेत खसरा संख्या 417/154 में काटने से पर्यावरण संरक्षण को नुकसान हुआ है एवं भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।
4. उक्त काटे गये पेड़ों को कुर्क किया जाकर बहक सरकार लिया गया एवं मोबसिंह पुत्र बालसिंह जाति राजपूत निवासी लादड़िया तहसील चूरू की सुपुर्दगी में दिया जाकर पाबंद किया गया है।
5. उपर्युक्त सुपुर्दगी में दिये गये का[illegible] नीलामी की कार्यवाही तथा दोषी व्यक्ति (प्रतिवादी) के विरूद्ध सख्त कार्यवाही [illegible] न्यायालय से गजारिश है।
6. उक्त लकड़ियों के खुर्दबुर्द होने [illegible] कार्यवाही के आदेश करने एवं प्रतिवादी को भारी से भा[illegible] प्रार्थना है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:21:47 IST
Reason: SelfAttested

अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का, फर्द मौका, कुर्की मूल ही इस दावा के संलग्न कर न्यायालय में प्रस्तुत है।

7. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 की ओर अधिवक्ता श्री शिवसिंह राठौड़ ने वकालतनामा किया गया। फर्द कुर्की अनुसार दिनांक 30.12.2021 को तहसीलदार चूरू के आदेश क्रमांक राजस्व/2021/944 की पालना में खसरा नं. 417/154 रोही ग्राम लादड़िया पहुंचा। मोबसिंह पुत्र बालसिंह के खेत में रोहिड़ा के तीन व खेजड़ी के 10 पेड़ काटे गये है। काटे गये पेड़ों को कुर्क कर बहक सरकार लिया गया। कुर्क शुदा कारे समस्त पेड़ों को मोबसिंह पुत्र बालसिंह जाति राजपूत निवासी लादड़िया की सुपुर्दगी में दिये गये तथा उक्त सुपुर्दगी मोबसिंह को पाबन्द किया गया कि कुर्क शुदा काटे गये पेड़ों को न तो खुर्द बुर्द करेगा तथा न ही अन्य को खुर्द बुर्द करने देगा। पत्रावली में इस कार्यालय के पत्रांक रीडर/राजस्व/2022/211 दिनांक 18.01.2022 द्वारा कुर्क शुदा लकड़ियों की नियमानुसार नीलामी की जाकर राशि राजकोष में जमा कराई जावे। उक्त आदेश की पालना में संबंधित भू.अ.नि. सिरसला से नीलमी करवाई जाकर राशि 2900 रूपये राजकोष में जमा करवाई गई। अप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस काटे गये पेड़ों को कुर्क कर नीलाम कर दिया गया है। अतः पत्रावली को इसी स्तर पर ड्रॉप किये जाने का निवेदन किया है।

8. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। किसी व्यक्ति द्वारा हरे पेडों को काटने के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के अध्याय–08 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के अध्याय–08 की धारा–83 का उद्धरण यहाँ प्रासंगिक है जो इस प्रकार है–

> 83. Trees not removable except as provided—Notwithstanding anything to the contrary in any law custom or contract no trees standing on occupied or unoccupied land shall be removable therefrom except as provided in section 84.

9. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–83 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–84 के प्रावधानों के अतिरिक्त हरे पेडों के हटाये जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। हरें पेडों को हटाये जाने के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–84 का उद्धरण यहाँ प्रासंगिक है जो इस प्रकार है–

> 84. When and by whom trees may be removed-
> (1) Omitted.
>
> (2) A Khatedar tenant holding land below the ceiling area may remove trees standing on his holding for any purpose;
>
> Provided that no such tenant shall remove trees for purpose other than his bonafide or agricultural use except with the permission of such authority and subject to such terms and conditions as may be prescribed by the State Government.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:21:47 IST
Reason: SelfAttested

(3) A Gair Khatedar tenant may, with the previous permission of the Tehsildar, remove any trees standing on his holding for his own domestic or agricultural use.

(4) A sub-tenant may, with the previous permission of the person from whom he holds, remove any trees standing on his holding for his own domestic or agricultural use.

(5) A Khatedar tenant holding land in excess of the ceiling area desiring to remove any trees which vest in him or are in his possession may do so under a licence to be granted by the Sub-Divisional Officer.

(6) Upon receipt of an application under sub-section (5), the Sub-Divisional Officer may after making such inquiry as may be necessary in the prescribed manner and taking in to consideration the prescribed matter, grant the requisite licence in the prescribed form on payment of the prescribed fee subject to such terms, restrictions, as may be prescribed.

(7) Nothing in this section shall apply to the State Government or affect the right or power of the State Government to remove or cause to be removed or order the removal of any tree standing on any land entered in the name of the State in Revenue Records for any purpose.

10. इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—84 की उपधारा—02 के अवलोकन से स्पष्ट है कि कोई खातेदार काश्तकार अपने प्रमाणिक एवं कृषि कार्य हेतु सक्षम अधिकारी की अनुमति से ही कोई वृक्ष हटा सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—84 के प्रावधानों की प्रक्रिया का निर्धारण हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम—1955 के अध्याय—05 के तहत नियम—24EE लगायत 25 बनाये गये है। प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम—1955 के नियम 24जी व 24एच का उद्धरण प्रासंगिक है जो कि इस प्रकार है—

24G. Enquiry and disposal. - (1) The Tehsildar shall in every case inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of an Inspector, Land Records. The Tehsildar or such Officer, as the case may be, shall clearly indicate in his inspection report (a) total area of holding of the applicant with khasra numbers; (b) number of trees standing on the holding; (c) number of trees sought to be removed; (d) justification for the removal of trees that may be permitted to be removed, and (e) specific reasons which necessitate removal of trees. The inspection report shall be submitted in Form C-I Part III.

(2) Subject to the conditions laid down in these rules, the Tehsildar, shall, on receipt of such inspection report and after satisfying himself on the merits of the application that the number of trees sought to be removed is not excessive and is commensurate with the purpose for which removal

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:21:47 IST
Reason: SelfAttested

is sought, grant the permission within 15 days of the receipt of the inspection report, but -

(a) The Tehsildar shall permit the removal upto 15 trees subject to the ceiling limit of aforesaid proviso.

(b) If the application is for the removal of more than 15 trees the Tehsildar shall forward the application to the Sub-Divisional Officer concerned alongwith the report. The Sub-Divisional Officer after satisfying himself and subject to the ceiling limits of aforesaid proviso grant or refuse the permission stating the reasons thereof.

(3) The permission shall be valid for a period of 30 days from the date of the sanction, and can be extended for a further period not exceeding of 30 days.

Provided that khatedar shall not be allowed to cut more than 10% of the trees standing on his holding in any calendar year.

तथा

24H. Conditions for grant of permission. - (1) Removal of any tree or class of trees may be granted in following cases: -

(i) If it will help any work of construction by and on behalf of the village community; or

(ii) If such removal is necessary for the extension of cultivation or other agricultural activities of the tenant; or

(iii) If it will mitigate any real existing grievance of the tenant; or

(iv) If the existing trees Eire dried up and their removal is in the interest of plantation of new trees; or

(v) In the case of fruit trees, if such trees have become over-mature and rot and deterioration having set in; or

(vi) If such trees are so dense that they affect the fertility of the soil or otherwise cause damage to the soil or standing crops, if there be any.

(2) Before grant of permission under these rules, the applicant shall give an undertaking in writing that he shall plant and stabilise two trees in lieu of the one permitted to be cut. The trees shall be planted at the place indicated in the undertaking and if no such place is indicated therein, at the place directed by the Tehsildar. If it is not possible to plant the new trees on the land from where the trees are removed, without causing damage to the land, standing crops, grass or trees or a building of neighbours, the same shall be planted and stabilised at a place directed by the Tehsildar:

Provided that the condition of planting two trees shall not apply if the permission sought under clause (vi) of sub-section (1) and there is no other part of the holding where such trees could be conveniently planted.

(3) If the permission is refused, reasons of refusal shall be recorded in writing and communicated to the appli[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:21:47 IST
Reason: SelfAttested

11. राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम–1955 के [illegible] के तहत राजस्व विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक [illegible] द्वारा यथा संशोधित नियम 24जी व

24एच के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्येक खातेदार को हरे पेड हटाने हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमति लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। ऐसे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बाद जाँच नियम 24एच के तहत शर्ते आरोपित करते हुये नियम 24जी 15 पेडों तक पेड हटाये जाने पर तहसीलदार तथा 15 से अधिक पेड हटाये जाने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा एक वर्ष में खातेदारी आराजी पर लगे हुये समस्त पेडों का 10 प्रतिशत से कम पेडों को काटने की अनुमति दी जा सकती है।

12. प्रकरण में पटवारी रिपोर्ट दिनांक 31.12.2021 से स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा स्वयं की खातेदारी तथा अन्य खातेदारों की आराजी में से बिना उपर्युक्त विधिक प्रावधानों के तहत निहित प्रक्रिया का उल्लघंन कर बिना अनुमति के हरे वृक्ष हटा दिये। उपर्युक्त विधिक प्रावधानों के तहत निहित प्रक्रिया का उल्लघंन करने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–86 के तहत दण्डात्मक प्रावधान बनाये गये है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–86 का उद्धरण प्रासंगिक है जो कि इस प्रकार है–

> 86. Penalties for unlawful removal— Whoever contravenes all or any of the provisions of section 83 or section 84 or any of the terms, conditions or restrictions of a licence granted thereunder shall be punishable by an Assistant Collector on an application or a report made to him
>
> (a) in the case of a first contravention:
>
> (i) where a tree has been removed, with fine which may extend to <u>one hundred rupees for each tree</u> that has been removed; and
>
> (ii) in other case, with fine which may extend to <u>one hundred rupees</u>; and
>
> (b) in the case of a second or subsequent contravention, with fine which may extend to <u>double the amount of fine that can be imposed under clause (a)</u>, and <u>any tree or timber thereof in respect of which such contravention shall have been committed may be forfeited to the State Government.</u>

13. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–83 सपठित धारा–84 द्वारा हरे वृक्ष हटाने हेतु निहित प्रक्रिया का उल्लघंन कर बिना अनुमति के हरे वृक्ष हटाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–86 के तहत बनाये गये दण्डात्मक प्रावधान के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस प्रकार हटाये गये प्रत्येक वृक्ष के लिये प्रथम बार के अपराध में अधिकतम 100 रूपये का जुर्माना तथा द्वितीय बार के अपराध में प्रत्येक वृक्ष के लिये अधिकतम 100 रूपये का जुर्माना तथा इस प्रकार हटाये गये वृक्ष या लकडी को राज्य सरकार के कब्जे राज लेने के प्रावधान बनाये गये है।

14. पत्रावली में उपलब्ध समस्त अभिलेखों, पटवारी रिपोर्ट, फर्द मौका, फर्द कुर्की, नीलामी विवरण एवं दोनों पक्षों के तर्कों का सावधानीपूर्वक अवलोकन [illegible] अभिलेखों से यह तथ्य प्रमाणित है कि ग्राम लादड़िया, तहसील चूरू स्थित खसरा संख्या 417 [illegible] में अप्रार्थी मोबसिंह पुत्र बालसिंह जाति राजपूत द्वारा रोहीड़ा के 0[illegible] अनुमति के काटे गये, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 84 व 86 का स्पष्ट उल्लंघन है। खेजड़ी जैसे संरक्षित वृक्षों का अवैध कटान पर्यावरण संरक्षण की [illegible]टि से गंभीर अपराध है। अभिलेखानुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:21:47 IST
Reason: SelfAttested

काटे गये पेड़ों को नियमानुसार कुर्क कर बहक सरकार लिया गया तथा कुर्कशुदा लकड़ियों की विधिवत नीलामी करवाई जाकर ₹2900/— की राशि राजकोष में जमा करवाई जा चुकी है। यद्यपि कुर्की एवं नीलामी की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, तथापि मात्र नीलामी किया जाना अपराध से दायित्व मुक्त नहीं करता। अप्रार्थी का कृत्य विधि विरुद्ध, पर्यावरण को क्षति पहुँचाने वाला एवं अधिनियम की मंशा के प्रतिकूल है। अतः प्रकरण में तहसीलदार चूरू द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—83 सपठित धारा—84 द्वारा हरे वृक्ष हटाने हेतु निहित प्रक्रिया का उल्लघंन कर बिना अनुमति के हरे वृक्ष हटाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—86 के तहत बनाये गये दण्डात्मक प्रावधान के आलोक में साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—84 व 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 तहसीलदार चूरू रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात् के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—83 सपठित धारा—84 द्वारा हरे वृक्ष हटाने हेतु निहित प्रक्रिया का उल्लघंन कर बिना अनुमति के हरे वृक्ष हटाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—86 के तहत बनाये गये दण्डात्मक प्रावधान के आलोक में अप्रार्थी द्वारा हटाये गये प्रत्येक वृक्ष के लिये 100 रूपये प्रति वृक्ष का जुर्माना वसूल कर राशि को राज्य सरकार के पेटे में जमा कराने के आदेश तहसीलदार चूरू को दिये जाते हैं जो आदेश दिनांक से 15 दिवस में राजकोष में जमा कराना अनिवार्य होगा। प्रकरण में कुर्की, नीलामी एवं दण्डात्मक कार्यवाही पूर्ण होने के कारण पत्रावली को निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 06.01.2026 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार— I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:21:47 IST
Reason: SelfAttested